

न्यायालय:-अमनदीपसिंह छाबडा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बैहर,
जिला बालाघाट(म0प्र0)

प्रकरण क्रमांक 1029 / 2015

संस्थित दिनांक -30 / 10 / 15

म0प्र0 राज्य द्वारा, थाना रूपझर
 जिला बालाघाट म0प्र0

..... अभियोगी

// विरुद्ध //

01. जयसिंह उइके पिता भदलसिंह उइके—
 उम्र 35 वर्ष निवासी ग्राम वार्ड नम्बर
 09 उकवा थाना रूपझर जिला बालाघाट म.प्र.

..... आरोपी

::निर्णय::**{ दिनांक 23 / 02 / 2017 को घोषित }**

1. अभियुक्त जयसिंह उइके पर भा.द.वि. की धारा-457, 380 के अंतर्गत यह दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उसने दिनांक 10 / 10 / 2015 को रात्रि 12:30 बजे चौकी उकवा थाना रूपझर अंतर्गत लक्ष्मी राईस मिल उकवा में सूर्यास्त के पश्चात एवं सूर्योदय के पूर्व चोरी करने के आशय से प्रवेश कर रात्रोप्रच्छन्न गृह अतिचार या रात्रि गृह भेदन कर फरियादी मुकेश अग्रवाल की सहमति के बिना उसके आधिपत्य की चार कट्टी चावल कीमत- 4,000 / -रुपये को बेईमानीपूर्वक हटाकर चोरी की।
2. अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 11.10.15 को प्रार्थी ने उकवा चौकी आकर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख कराया कि वह लक्ष्मी राईस मिल उकवा का मालिक है। शाम सात बजे मिल बंद करके पास में स्थित अपने घर आ जाता है। दिनांक 10.10.15 की रात्रि करीब 12:30 बजे उसके पड़ोसी मुरली ठाकरे ने आहट सुनकर बताया कि कोई व्यक्ति मिल में घुसा है जिसके तुरंत बाद वह मिल देखने आया तो उकवा का जयसिंह उइके अपनी साईकिल पर चावल की कट्टी रखकर भाग रहा था। जो चिल्लाने पर तेजी से भाग गया जिसे उसने और मुरली ठाकरे ने बिजली के उजाले में पहचान लिया था। अपनी मिल में रखी चावल की कट्टियों को देखने पर चार कट्टी चावल कीमत 4,000 / -रुपये कम थे। बोरियों में लाल रंग से स्याही से लक्ष्मी राईस मिल लिखा हुआ था। रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की गयी। दौरान विवेचना घटनास्थल का मौकानक्शा बनाकर, मेमोरेण्डम जप्ती तथा प्रार्थी एवं गवाहों के कथनों के आधार पर आरोपी के विरुद्ध अपराध पाये जाने से सम्पूर्ण विवेचना उपरान्त प्रकरण

न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

3. अभियुक्त ने निर्णय के चरण एक में वर्णित आरोप को अस्वीकार कर अपने परीक्षण अंतर्गत धारा 313 द.प्र.सं में यह प्रतिरक्षा ली है, कि वह निर्दोष है तथा उसे झूठा फंसाया गया है। कोई प्रतिरक्षा साक्ष्य पेश नहीं की है।

4. प्रकरण के निराकरण के लिए विचारणीय प्रश्न यह है कि :-

(1) क्या अभियुक्त ने दिनांक 10/10/2015 को रात्रि 12:30 बजे चौकी उकवा थाना रूपझर अंतर्गत लक्ष्मी राईस मिल उकवा में सूर्यास्त के पश्चात एवं सूर्योदय के पूर्व चोरी करने के आशय से प्रवेश कर रात्रोप्रछन्न गृह अतिचार या रात्रि गृह भेदन किया ?

(2) क्या अभियुक्त ने उक्त घटना दिनांक समय व स्थान पर फरियादी मुकेश अग्रवाल की सहमति के बिना उसके आधिपत्य की चार कट्टी चावल कीमत- 4,000/-रुपये को बेईमानीपूर्वक हटाकर चोरी की ?

::सकारण निष्कर्ष::

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1 एवं 2

5. साक्ष्य की पुनरावृत्ति को रोकने तथा सुविधा हेतु दोनों विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

6. परिवारी मुकेश अग्रवाल (अ.सा.2) का कथन है कि वह आरोपी को जानता है तथा घटना वर्ष 2015 में 10 अक्टूबर की रात्रि 12:00 बजे की है। उकवा स्थित उसकी मिल से आवाज आने पर पड़ोसी मुरली ठाकरे ने उसके छोटे भाई राकेश को बताया जिसने उसे खबर दी परंतु उन लोगों ने ध्यान नहीं दिया। सुबह मिल में रखे स्टॉक को चेक करने पर चार कट्टी चावल लगभग कीमत चार हजार रुपये का कम था। चावल की कट्टियों पर लाल स्याही से लक्ष्मी राईसमिल उकवा लिखा था। आसपास तलाश करने पर उक्त चावल की कट्टियां ट्रांसफार्मर के पास झाड़ी में पड़ी मिली जिसके बाद उसने उकवा पुलिस चौकी जाकर खबर की। पुलिस ने उसके बताये अनुसार घटना की रिपोर्ट प्र.पी.04 दर्ज की तथा मौकानक्शा प्र.पी.05 बनाया जिनके ए से ए भागों पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उसके समक्ष आरोपी से दो कट्टी चावल जिन पर लाल स्याही से लक्ष्मी राईस मिल उकवा लिखा था, जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी.02 बनाया था जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उसके समक्ष आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया था और न ही मेमोरेण्डम प्र.पी.01 के अनुसार कथन लेख किये थे। परंतु गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी.03 तथा मेमोरेण्डम प्र.पी.01 के बी से बी भागों पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे।

7. शिशुपाल (अ.सा.01) का कथन है कि घटना वर्ष 2015 में अक्टूबर नवम्बर माह की है। वह कंपनी की डाक लेकर पुलिस चौकी उकवा गया था। जहां उसे मुकेश अग्रवाल मिला था। पुलिस चौकी उकवा में जयसिंह उइके को

रखा गया था। वहां चावल की दो कट्टियां रखी थी जो लक्ष्मी राईस मिल उकवा से चोरी हुई थी। पुलिस ने उसके समक्ष मेमोरेण्डम जप्ती तथा गिरफ्तारी के दस्तावेजों पर उससे हस्ताक्षर करा लिये थे जो प्र.पी.01, 02 एवं 03 हैं जिनके ए से ए भागों पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने घटना के संबंध में उससे कोई पूछताछ नहीं की थी और न ही उसके बयान लिये थे। पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने उक्त समस्त कार्यवाहियों से स्पष्ट इंकार किया है। घटना के अन्य साक्षी राकेश अ.सा.03 तथा मुरली ठाकरे अ.सा.04 पूर्णतः पक्षद्रोही हैं जिन्होंने घटना के संबंध में किसी प्रकार की जानकारी होने से इंकार कर अपने पुलिस कथन प्र.पी.06 एवं प्र.पी.07 से स्पष्ट इंकार किया है।

8. नजीम खान (अ.सा.06) का कथन है कि दिनांक 11.10.15 को चौकी उकवा में पदस्थापना के दौरान मुकेश अग्रवाल की सूचना पर उसके द्वारा आरोपी जयसिंह उइके के विरुद्ध लक्ष्मी राईस मिल उकवा से चोरी करने के संबंध में धारा 457, 380 भा.दं0सं0 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.04 शून्य पर कायम कर असल नम्बरी हेतु थाना रूपझर भिजवाया था जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

9. भाऊराम नारनौरे (अ.सा.05) का कथन है कि दिनांक 12.10.15 को पुलिस चौकी उकवा थाना रूपझर में पदस्थापना के दौरान अपराध क्रमांक 165/15 के अंतर्गत उसके द्वारा मुकेश अग्रवाल की निशांदाही पर मौकानक्शा प्र.पी.05 तैयार किया था जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही उसके द्वारा आरोपी जयसिंह उइके का मेमोरेण्डम कथन प्र.पी.01 गवाह मुकेश तथा शिवलाल के समक्ष लेख किया था तथा उक्त दिनांक को ही आरोपी जयसिंह से उक्त गवाहों के समक्ष चार कट्टी चावल पचास-पचास कि.ग्रा. की दो-दो कट्टी में कीमत चार हजार रुपये जप्ती पत्रक प्र.पी.02 के अनुसार जप्त किया था। मेमोरेण्डम प्र.पी.01 तथा जप्ती पत्रक प्र.पी.02 एवं गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी.03 के सी से सी भागों पर उसके एवं डी से डी भागों पर आरोपी के हस्ताक्षर हैं। विवेचना के दौरान मुकेश अग्रवाल, मुरली ठाकरे, राकेश, शिशुपाल के कथन उनके बताये अनुसार लेख किया था। सम्पूर्ण विवेचना उपरांत प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया था।

10. परिवादी मुकेश अग्रवाल अ0सा02 के न्यायालयीन कथनों और प्रथम सूचना रिपोर्ट अ0सा04 में महत्वपूर्ण विरोधाभास है जिस संबंध में कोई स्पष्टीकरण भी नहीं है। उक्त साक्षी ने अपने मुख्य परीक्षण में मुरली ठाकरे द्वारा भाई राकेश को जानकारी देने के कथन किये हैं। तत्पश्चात सुबह स्वयं तलाश करने पर चावल की कट्टियां ट्रांसफार्मर के पास झाड़ियों में मिलना बताया है। साक्षी ने आरोपी द्वारा उसके समक्ष मेमोरेण्डम कथन प्र.पी.01 के अनुसार कथन नहीं करना तथा जप्ती की कार्यवाही पुलिस चौकी उकवा में होना बताया है। मेमोरेण्डम प्र.पी.01 तथा जप्ती प्र.पी.02 के दोनों साक्षी पक्षद्रोही रहे हैं जिन्होंने उनके समक्ष किसी ऐसी कार्यवाही से इंकार किया है। घटना के अन्य साक्षी राकेश अग्रवाल

अ0सा03 और मुरली ठाकरे अ0सा04 पूर्णतः पक्षद्रोही है जिन्होंने अपने पुलिस कथनों प्र.पी.06 एवं 07 से स्पष्ट इंकार कर घटना के संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं होना व्यक्त किया है। यद्यपि विवेचक साक्षी भाउराम नारनौरे अ0सा05 की साक्ष्य विवेचना के संबंध में अखण्डनीय है। तथापि परिवादी मुकेश अग्रवाल अ0सा02 के कथनों से सम्पूर्ण अभियोजन कहानी ही संदिग्ध प्रतीत होती है। मुकेश अग्रवाल अ0सा02 के कथनों पर अविश्वास का कोई कारण दर्शित नहीं होता। क्योंकि उक्त साक्षी परिवादी होकर कथित संपत्ति का स्वामी है। प्रकरण में आयी साक्ष्य अभियोजन कहानी पर गंभीर संदेह उत्पन्न करती है जिसका लाभ अभियुक्त को दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

11. अतः अभियुक्त जयसिंह पिता भदलसिंह को भा.दं0सं0 की धारा-457, 380 के तहत दण्डनीय अपराध से दोषमुक्त किया जाता है।

12. अभियुक्त के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

13. प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति चार कट्टी चावल पचास-पचास कि0ग्रा0 की बोरी पर नीली स्याही से एस.सी.एस.सी.एम.पी.स्टेट सिविल सप्लाइस कार्पोरेशन लिमिटेड 2013-14 तथा वर्ष 2014-15 अंकित मूल स्वामी की सुपुर्दगी में है। सुपुर्दनामा अपील अवधि के पश्चात सुपुर्दगीदार के पक्ष में उन्मोचित हो तथा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देश का पालन किया जावे।

14. आरोपी विवेचना या विचारण के दौरान अभिरक्षा में रहा है, इस संबंध में धारा 428 जा0फौ0 का प्रमाण पत्र बनाया जावे जो कि निर्णय का भाग होगा।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित,
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे उद्बोधन पर टंकित किया।

(अमनदीप सिंह छाबड़ा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
बैहर, बालाघाट (म.प्र.)

(अमनदीप सिंह छाबड़ा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
बैहर, बालाघाट (म.प्र.)